राजस्व लोक अदालत ''न्याय आपके द्वार'' कैम्प 2015 ग्राम पंचायत भीम
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत भीम

प्रकरण सं. – **75/2012** रे0वा0 — निर्णय दिनांक – 02.07.2015

अनवान

1. श्रीमति तुलसीदेवी पत्नि माधुलाल जाति मेवाडा निवासी भीम तहसील भीम

वादीगण

बनाम

1. श्री मिश्रीलाल पिता जवानमल जाति महाजन–गन्ना निवासी भीम तहसील भीम
2. श्री सम्पतराज पिता जवानमल जाति महाजन–गन्ना निवासी भीम तहसील भीम
3. श्री नौरतमल पिता जवानमल जाति महाजन–गन्ना निवासी भीम तहसील भीम
4. श्री प्रमोद कुमार पिता पारसमल जाति महाजन–गन्ना निवासी भीम तहसील भीम
5. श्री विनोदकुमार पिता पारसमल जाति महाजन–गन्ना निवासी भीम तहसील भीम
6. श्रीमति पुष्पादेवी पत्नि पारसमल जाति महाजन–गन्ना निवासी भीम तहसील भीम

प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीए

यह कि वादी के स्वामित्व व आधिपत्य मे मौजा भीम पटवार हल्का भीम मे आराजी नम्बर 11770 रकबा 02 बीघा 08 विस्वा भूमि आई हुई है।

यह कि उक्त भूमि के पूर्व मे मालिक प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता जवानमल जी थे व उनके द्वारा मुझ वादिया को उक्त आराजी मे से 200 वर्गफीट अर्थात 240/41818 वा हिस्सा बेचान दिनांक 17.11.1999 को कर दिया था व कब्जा भी सुपुर्द कर दिया था तथा उसके पश्चात जवानमल जी ने इसी आराजी मे से 140 वर्गफीट अर्थात 140/41818 वा हिस्सा दिनांक 04.07.2000 को जरिये पंजीकृत विलेख से बेचान किया था इस प्रकार से दोनो विक्रय विलेख के आधार वादी 380/41818 हिस्से पर काबिज हो उक्त हिस्से का निरन्तर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त भूमि को बेचान के कुछ दिन बाद ही विक्रेता जवानमल जी का देहान्त हो गया था व वादी द्वारा भी अपनी उक्त रजिस्ट्री की अमल दरामद किये जाने हेतु उक्त विक्रय विलेख पटवारी हल्का भीम को दिया गया था व उसके द्वारा कुछ दिन रखने के बाद मे वापिस विक्रय विलेख दे दिया गया व बताया कि खोद दी गई है व वादी भी यही समझता रहा कि अपने नाम उक्त भूमि आ गई है।

जब वादी अपनी उक्त आराजी नम्बर की नकल लेने गया तो पता चला कि ये भूमि तो वादी के नाम पर नही आकर जवानमल के वारिसान के नाम पर चली गई है तब मेरे द्वारा बताया कि मैने उक्त भूमि में से 380/41818 हिस्सा ही खरीद किया है इसलिये आप मेरे नाम पर उक्त भूमि का खाता खोले। वादी अधिकारी है कि वो वादपत्र पेशकर वादपत्र उसके द्वारा खरीदी हुई भूमि का इन्द्राज उक्त जमाबन्दी मे करावे तथा उक्त आराजी मे अपने खरीदे हिस्से 380/41818 का खातेदार घोषित किया जावे व उक्त हिस्से का इन्द्राज करावे।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायालय में लम्बित होकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प भीम मे पेश हुआ**। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः वादी का वाद एकतरफा कार्यवाही करते हुए स्वीकार किया जाकर वादपत्र में उसके द्वारा खरीदी गई भूमि का इन्द्राज जमाबन्दी में किया जावे उक्त आराजी मे से अपने खरीदी हुई हिस्से 380/41818 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे पालना हेतु तहसीलदार भीम को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

पीठासीन अधिकारी

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी भीम
जिला-राजसमन्द